5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(6)

मान. न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक – /2018 निगरानी निगरानी-0177/2019/शाजापुर/भू०रा०

अमीन बेग पिता बशीर बेग
निवासी रसुलपुर तहसील मोमन बड़ोदिया जिला शाजापुर —— **आवेदक**

विरूद्ध

1. बानो बी पिता नूर खां
2. सोहेल बेग पिता रईस बेग

निवासीगण रसुलपुर तह. मोमन बड़ोदिया जिला शाजापुर —— **अनावेदकगण**

537/19

अभिभाषक श्री एस. आर. यादव
प्रस्तुत
दिनांक 02/1/19
02.01.19
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

अधीनस्थ योग्य न्यायालय आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्र. 1517/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13–11–2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर अपील अंदर अवधि प्रस्तुत करते हैं :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर निगरानी, विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा धारा 178(क) के आदेश पारित करने में त्रुटि की है तथा ऐसे अवैध आदेश को अधीनस्थ अपर आयुक्त महोदय ने यथावत रखे जाने में त्रुटि की है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार की जीवित अवस्था में वारिसों को अधिकार नहीं मिलता असत्य है यहां भू.रा.सं. में जो प्रावधान बंटवारा को लेकर दिये गये है उक्त प्रावधानों से हटकर आदेश पारित किया गया है जो किसी भी दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है परन्तु इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक ने अपनी लिखित

33

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0177/2019/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/08/2019	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 13.11.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	